न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 19/423

1. मस्तराम पुत्र छोटूलाल जाति मीणा निवासी तीरथ ।
2. दिनेश पुत्र छोटूलाल जाति मीणा निवासी तीरथ ।
3. बद्रीबाई पुत्री छोटूलाल जाति मीणा निवासी तीरथ ।
4. लाडबाई विधवा छोटूलाल जाति मीणा निवासी तीरथ ।
5. कलावती पुत्री बद्रीलाल जाति मीणा निवासी तीरथ ।
6. मंजू पुत्री बद्रीलाल जाति मीणा निवासी तीरथ ।
7. संजू पुत्री बद्रीलाल जाति मीणा निवासी तीरथ ।
8. नन्दकिशोर पुत्र बद्रीलाल जाति मीणा निवासी तीरथ ।
9. रामस्वरूप पुत्र बद्रीलाल जाति मीणा निवासी तीरथ तहसील तालेडा जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. महावीर आत्मज घासीलाल जाति मीणा निवासी खेडलीखुर्द तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
2. पप्पू आत्मज बद्री जाति मीणा निवासी तीरथ तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, के0 पाटन ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री प्रेमशंकर गुर्जर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री लीलाधर सिंह, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 16.03.2020

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, के0 पाटन जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.05.2017 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट कम 01 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 183 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम बालीथा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी में कुल 04 किता की रकबा 2.60 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि वादी के खातेदारी में दर्ज है और वादी उक्त भूमि का रिकॉर्डेड खातेदार है । सन् 2011 में प्रतिवादीगण ने ताकत के बल पर जबरदस्ती उक्त कृषि

भूमि पर अवैध तरीके से बिना किसी कारण के कानून को हाथ में लेकर कब्जा कर लिया है । वादी ने उस वक्त भी 'राहिन देवा आत्मज श्री राम मीणा साकिन तीरथ' का गलत अंकन हटाने हेतु भी निवेदन किया था । वादी को अधिकार प्राप्त है कि वह न्यायालय में दावा दायर करके राहिन के रूप में गलत तरीके से हो रहे अंकन देवा आत्मज श्री राम मीणा निवासी तीरथ को रिकॉर्ड से हटवाये एवं प्रतिवादीगण को बेदखल करवाकर कब्जा वापस प्राप्त करे ।

3. अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी से प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाकर वादी को कब्जा दिलवाया जावे तथा राहिन देवा आत्मज श्री राम मीणा निवासी तीरथ का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जावे । इस आशय की बेदखली व घोषणात्मक डिक्री पारित की जावे तथा मृतक खातेदार घांसी आत्मज नाथू के स्थान पर फौती के रूप में इनके पुत्र वादी महावीर का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित हेतु घोषणा की जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.05.2017 के द्वारा वाद वादी स्वीकार कर डिक्री कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.05.2017 से व्यथित होकर अपीलान्ट प्रतिवादी कम 1 व 2 एवं अन्य अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी रेस्पोडेन्ट कम 01 ने अपने वादपत्र में स्वयं यह कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी देवा आत्मज श्रीराम मीणा साकिन तीरथ राहिन का गलत अंकन हो रहा है जिसे हटाने का निवेदन किया जबकि अपीलान्ट कम 1 लगायत 04 का पिता/पति छोटूलाल का पिता भवानीशंकर व भवानीशंकर का पिता देवा है एवं अपीलान्ट कम 05 लगायत 9 व रेस्पोडेन्ट कम 2 का पिता बद्रीलाल है जिसके पिता भैरूलाल है और भैरूलाल के पिता देवा हैं । इस प्रकार भवानी शंकर व भैरूलाल दोनों भाई हैं जिनके पिता देवा हैं और देवा के पिता श्रीराम मीणा हैं । उक्त भूमि लगभग 150–200 वर्षों से अपीलान्ट के पूर्वज देवा आत्मज श्रीराम मीणा के राहिन चली आ रही है और तद्नुसार अपीलान्ट अपने पूर्वजों के जमाने से ही उक्त भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं । अधीनस्थ न्यायालय में वादी ने अपीलान्ट कम 1 लगायत 3 तथा 5 लगायत 7 को पक्षकार नहीं बनाया और न्यायालय को धोखे में रखकर डिक्री पारित करवा ली । अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण को लोक अदालत में रखकर निर्णित कर दिया जिसकी अपीलान्टगण को कोई सूचना नहीं दी गई । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टगण को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.05.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी ने जानबूझकर राहिन के विधिक वारिसान को पक्षकार नहीं बनाया जिससे अपीलान्ट अपना पक्ष नहीं रख सके और वादी ने न्यायालय को गुमराह करके डिक्री प्राप्त की है । अपीलान्टगण कम कम 1 लगायत 3 तथा 5 लगायत 7 उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री से प्रभावित पक्षकार हैं । अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अपीलान्टगण को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे ।

7. हमने उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थीगण अपीलान्ट ने स्वयं को राहिन के विधिक वारिसान होने का कथन किया है तथा प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से प्रभावित होना कथन किया है । अतः न्यायहित में अपीलान्टगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

8. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक अन्य प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलान्टगण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री की पूर्व में कोई जानकारी प्राप्त नहीं थी । अभी हाल ही में माह सितम्बर, 2019 के प्रथम सप्ताह में पटवारी हल्का से मिलने पर उनके द्वारा उक्त निर्णय एवं डिक्री के बारे में बताया गया जिस पर उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की दिनांक 16.09.2019 को प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

9. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

10. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ने रेस्पोडेन्ट क्रम 2 व 3 एवं अपीलान्ट क्रम 4, 8 व 09 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया कि उन्होंने जबरन ताकत के बल पर सन् 2011 में कब्जा कर लिया । अपीलान्टगण के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही कर दावा वादी आंशिक रूप से स्वीकार किया गया है । रेस्पोडेन्ट वादी ने अपने वादपत्र में यह कथन किया है कि आराजीयात पर देवा आत्मज श्रीराम मीणा राहिन दर्ज है । अपीलान्ट क्रम 1 लगायत 4 के पिता/पति छोटूलाल के पिता भवानीशंकर व भवानीशंकर का पिता देवा है एवं अपीलान्ट क्रम 5 लगायत 9 व रेस्पोडेन्ट क्रम 02 का पिता बद्रीलाल है जिसके पिता भैरूलाल हैं और भैरूलाल के पिता देवा हैं । इस प्रकार भवानीशंकर व भैरूलाल दोनों भाई हैं । उक्त भूमि लगभग 150–200 वर्षों से अपीलान्ट के पूर्वज देवा आत्मज श्रीराम मीणा के कब्जे में चली आ रही है । वर्तमान में भी अपीलान्ट इस पर काबिज है । वादी ने अपीलान्ट क्रम 1 लगायत 3 तथा 5 लगायत 7 को पक्षकार ही नहीं बनाया जो न्याय के प्राकृति सिद्धान्तों के विपरीत है। लोक अदालत की कोई सूचना अपीलान्टगण को नहीं दी गई और न ही कोई राजीनामा पेश किया गया है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । अपीलान्टगण ने धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के साथ यह अपील पेश की गई है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.05.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

11. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने राहिन के नोट को हटाने का निर्णय पारित किया है जो विधि सम्मत है । पत्रावली में प्रतिवादीगण के उपस्थित नहीं आने पर उनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की गई थी, साक्ष्य वादी ली गयी, बहस सुनी गई और उसके उपरान्त विधिक प्रावधानों के तहत निर्णय पारित किया गया है । धारा 152 सीपीसी के तहत संशोधित किया गया है जो विधि सम्मत है। लोक अदालत में प्रतिवादी को बुलाया जाना आवश्यक नहीं था क्योंकि उनके खिलाफ एक

तरफा कार्यवाही हो चुकी थी । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.05.2017 बहाल रखा जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरआरडी 1998 पेज 593 उद्धरत की ।

12. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

13. अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट क्रम 8, 9, 4 एवं रेस्पोडेन्ट क्रम 02 को पक्षकार बनाकर दावा हक घोषणा एवं बेदखली का पेश किया गया है इस दावे में दिनांक 19.12.2016 को प्रतिवादीगण क्रम 1, 3 व 4 के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की गई है और दिनांक 18.11.2015 को प्रतिवादी संख्या 2 के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही गई है ।

14. पत्रावली पर पीडब्ल्यू–1 के रूप में महावीर का शपथ पत्र संलग्न है परन्तु महावीर ने न्यायालय में उपस्थित होकर अपने शपथ पत्र की ताईद नहीं की है और न ही पेश किये गये दस्तावेजात को प्रदर्शित करवाया गया है जो कि सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक है। अपीलान्टगण क्रम 1, 2, 3, 5 लगायत 7 का यह कथन है कि वो भी इस प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार हैं । इन समस्त तथ्यों के आधार पर हम इस प्रकरण में अपीलान्टगण को जवाबदेही का अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से निर्णय पारित किया जाना न्यायहित में आवश्यक समझते हैं ।

15. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.05.2017 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्टगण एवं रेस्पोडेन्ट क्रम 02 को जवाबदेही का अवसर प्रदान करते हुए दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर, तनकीयात पर उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर विधि सम्मत रूप से गुणावगुण के आधार पर तनकीवार निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 06.05.2020 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

16. निर्णय आज दिनांक 16.03.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

16/3/2020

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा